

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 के पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 के पत्र सं 72, 73, 507 में काला पत्र 2015-78 के राजस्व
 दर्ज रिपोर्ट है प्रकृति - आचार्यकार्ड, भाकरीगीर, शपन-पत्र व राजस्व कार्ड
 प्रकृति सुमेरुछि, अशोक फुल सुमेरुछि प्रकार का सुमेरुछि है। अतः राजस्व
 किया जाना उचित है रिपोर्ट प्रकृति की प्रकृति के अनुसार

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर नियेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराप्ता की जाती है / नहीं की जाती है।

144
 17/11/21

दिनांक : 17/11/21

(Signature)

तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुसुनु (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक : 17/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में नेम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	फतखी	202578	72	फतखी/ 61913	फतखी/ 61913
			507	फतखी/ 61913	फतखी/ 61913
			73	फतखी/ 61913	फतखी/ 61913

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 17/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1156-57

प्रतिलिपि :-
 1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया



(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी